

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

क्रमा नं 119 / 2022

तारीख रजू :- 27-5-2022

दावा बाबत घोषणा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

शाल आई0डी0 नम्बर 2022/238

उनवान

श पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ जिला करौली
जस्थान

--वादी--01

बनाम

मनिरी देवी पत्नि लखनसिंह जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ जिला करौली
जस्थान

--प्रतिवादीगण--10

क्रमांक	फर्द अहकाम
	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 27.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>27/6/22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपाय / धरिवादी का रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 27-6-22 को पेश हो।</p> <p>29/6/22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपाय / धरिवादी का रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 29-6-22 को पेश हो।</p> <p>4/8/22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपाय / धरिवादी वादी वकील ने अग्रगत कर दिया कि वादी पत्रावली माझे नहीं चलाना चाहते हैं। वादी पत्रावली नोट पुस्तक में रजिस्टर करने का कार्य है। अतः अंक 119/22 द्वारा नोटिस बनाम रामसिंही नोटिस पत्रावली किया जाता है। पत्रावली पत्रावली उपाय / धरिवादी के अग्रगत।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>

मनिरी देवी
पत्नि
लखनसिंह